-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना चिल्ला पुलिस टीम द्वारा अंतर्जनपदीय ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल आदि चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी का ट्रैक्टर, 06 मोटरसाइकिल/पार्ट, 03 बैटरियां व 10 हजार 500 रुपए नगद बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना चिल्ला पुलिस टीम द्वारा अंतर्जनपदीय ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल आदि की चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 02/03.06.2025 की रात्रि को थाना चिल्ला पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि घूरा रोड के पास कुछ लोग है जो ट्रैक्टर लेकर घूम रहे और चोरियां करते हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर छापेमारी कर 02 लोगों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए तथा अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वे अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह दोनों अपने एक अन्य साथी विक्रम निषाद उर्फ शेरा निवासी डिघवट थाना चिल्ला जनपद बांदा, जिसे दिनांक 03.05.2025 को चोरी के आरोप में थाना पैलानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, के साथ मिलकर जगह जगह चोरियां करते है। ये ट्रैक्टर उन लोगों ने जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र से चुराए हैं तथा थाना चिल्ला क्षेत्र में भी दिनांक 23.01.2025 व 15.02.2025 को चोरी किए है तथा बताए हैं कि उनके द्वारा जनपद फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा में विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल व बैटरी भी चोरी किए है पुलिस द्वारा अभियुक्तों की निशादेही पर अलग अलग जनपदों से चोरी की 06 मोटरसाइकिल तथा थाना ललौली क्षेत्र से चोरी की गई 03 बैटरियां बरामद हुई है।

बरामदगी-

- 01 स्वराज ट्रैक्टर (चोरी के)
- 06 मोटरसाइकिल/पार्ट (चोरी के)
- 03 बैटरियां (चोरी के)
- 10 हजार 500 रुपए नगद (चोरी के)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आकाश निषाद पुत्र मेवालाल निषाद निवासी डिघवट थाना चिल्ला जनपद बांदा।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रसाद निषाद निवासी डिघवट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 74/25 धारा 313/305/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 30/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 39/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 97/25 धारा 317(2) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 107/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 170/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।
7. मु0अ0सं0 132/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ललौली जनपद फतेहपुर।
8. मु0अ0सं0 157/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ललौली जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री रामदिनेश तिवारी
2. उ0नि0 श्री उत्कर्ष सिंह
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय
4. हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह
5. हे0कां0 मुकेश कुमार
6. कां0 रवीन्द्र कुमार